जिलाधिकारी, मुरादाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2024 को आयोजित जल जीवन मिशन फेस–2 एवं फेस–3 के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

भारत सरकार की अतिमहत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण घरों को वर्ष 2024 तक पाइप पेयजल योजना के माध्यम से क्रियाशील पेयजल गृह संयोजन (एफ0एच0टी0सी0) द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, इस कार्य हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के द्वारा जल जीवन मिशन (फेस–2 एवं 3) के अन्तर्गत मुरादाबाद मण्डल में जनपद मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल आधारित पाइप पेयजल योजनाओ के निर्माण एवं 10 वर्षो तक संचालन एवं रख–रखाव हेतु मै0 एल0सी0 इन्फ्रा एवं मै0 एन0के0जी0 प्राइमस (जे0वी0), नई दिल्ली को जनपद मुरादाबाद हेतु सूचीबद्ध किया गया है। उक्त फर्मो द्वारा कराये जा रहे कार्यो की जिलाधिकारी, मुरादाबाद की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
2. सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
3. श्री राजेश पटेल, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रा0लि0।
4. श्री गोवर्धन जोशी, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 एन0के0जी0 प्राइमस प्रा0लि0।
5. श्री शेषमणी पाण्डेय, प्रोजेक्ट मैनेजर, टी0पी0आई0।
6. श्री रमन यादव, डिस्ट्रिक्ट कोर्डीनेटर, डी0पी0एम0यू0।

बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार प्रकार है :–

1. जिलाधिकारी महोदय द्वारा फेस–2 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै0 एल0सी0इन्फ्रा से चांही गयी जानकारी के क्रम में फर्म के प्रोजेक्ट मेनेजर श्री राजेश पटेल द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हेतु फर्म को 267 नग राजस्व ग्राम आंवटित है जिनको सम्मिलित करते हुये कुल 210 नग योजनाए विरचित की गयी है तथा समस्त योजनाओं के कवर एग्रीमेन्ट गठित कर लिये गये है। समस्त योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है किसी भी योजना पर भूमि से सम्बन्धित कोई विवाद नहीं है। प्रस्तावित 204 नग नलकूप के सापेक्ष 204 नग नलकूप के बोरिंग कार्य पूर्ण कर लिये गये है, 204 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 192 नग पम्प हाउस का पूर्ण है शेष कार्य प्रगति पर है, 203 नग उच्च जलाशयों के सापेक्ष 75 नग उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण है शेष पर कार्य प्रगति पर है, वर्तमान में 88 नग पेयजल योजनाओं से ग्रामों में सीधे पम्प के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। 146 नग सोलर आधारित पेयजल योजनाओं में से 66 नग सोलर अधिष्ठापित किये जा चुके है तथा 67 नग योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठापन के कार्य प्रगति पर है। उक्त में से कुछ पेयजल योजनाऐं विद्युत आधारित है। योजनाओं को दिसम्बर 2024 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि टाइमलाइन बनाते हुये समस्त योजनाओं के समस्त कार्य टाइम लाइन के अनुसार पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
2. जिलाधिकारी महोदय द्वारा जानकारी चाहीं गयी कि फेस–2 के अन्तर्गत फर्म को आंवटित योजनाओ के कार्य को पूर्ण करने का निर्धारित समय सीमा क्या है। फर्म द्वारा समय से कार्य पूर्ण न करने के कारण आपके द्वारा क्या कार्यवाही गयी तथा समयवृद्धि की संस्तुति करते समय जिलाधिकारी महोदय से संस्तुति कराई गयी या जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के बिना स्वयं से संस्तुति कर दी गयी है। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि फेस–2 के समस्त कार्य मुख्यताः माह जनवरी 2024 तक पूर्ण किये जाने प्रस्तावित थे, परन्तु फर्म द्वारा समय से कार्य पूर्ण न करने के कारण दिसम्बर 2024 तक की समयवृद्धि हेतु संस्तुति कर मुख्यालय प्रेषित की गयी थी, जिसके क्रम में मुख्यालय स्तर से समयवृद्धि प्रदान की गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा समयवृद्धि हेतु संस्तुति नहीं हुई है।
3. जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता से जानकारी चाही गयी कि डी0डबल्यू0एस0एम0 की विगत बैठक कब हुई थी, डी0डबल्यू0एस0एम0 में कितने सदस्य है, आज की बैठक में डी0डबल्यू0एस0एम0 के कितने सदस्यो ने प्रतिभाग किया तथा बैठक में आपका कोई भी जूनियर इंजीनियर क्यो नही आया। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि डी0डबल्यू0एस0एम0 की विगत बैठक दिनांक 10.05.2024 को सम्पन्न हुई थी, डी0डबल्यू0एस0एम0 में कुल सदस्यों की संख्या 11 हैं। जिसमें से किसी भी

सदस्य द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया है। जनपद में चल रहे निर्माण कार्यो की जांच हेतु केन्द्र की जांच टीम आई हुई है, खण्डान्तर्गत कार्यरत समस्त जूनियर इंजीनियर द्वारा जांच टीम के योजनाओं की जांच कराई जा रही है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त करते हुये अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि आगामी डी0डबल्यू0एस0एम0 की बैठक में डी0डबल्यू0एस0एम0 के समस्त सदस्य एवं समस्त जूनियर इंजीनियर द्वारा प्रतिभाग किया जाये।

4. जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि जल जीवन मिशन फेस–2 एवं फेस–3 के अन्तर्गत चयनित समस्त ग्रामो की योजनावार प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे, जैसे भूमि प्राप्त होने का दिनांक, डी0पी0आर0 विरचन का दिनांक, कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की तिथि, डी0पी0आर0 स्वीकृति का दिनांक, इत्यादि सम्मिलित हो एवं सम्बन्धित टाइम ओवर रन का विशलेषण करते हुये पेनल्टी की गणना की जाये।
5. जिलाधिकारी महोदय द्वारा फेस–3 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै0 एन0के0जी0 प्राइमस से चाही गयी जानकारी के क्रम में फर्म के प्रोजेक्ट मेनेजर श्री गोर्वधन जोशी द्वारा अवगत कराया गया कि माह जनवरी 2022 से कार्य प्रारम्भ कराये गये है, फर्म को 684 नग ग्राम आंवटित है, जिसके सापेक्ष 393 नग योजनायें विरचित की गयी है जिन पर एस0एल0एस0एस0सी0 की विभिन्न बैठकों में स्वीकृति प्रदान की गयी, समस्त योजनाओं के कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके है। 7 नग योजनाओं में भूमि पर विवाद होने के कारण भूमि विवादित/अप्राप्त है। स्वीकृत 393 नग योजनाओं के सापेक्ष 382 नग बोरिंग के कार्य पूर्ण, 392 नग पम्प हाउसके सापेक्ष 176 नग पम्प हाउस के कार्य पूर्ण, 392 बाउण्ड्री वॉल के सापेक्ष 146 बाउण्ड्री वॉल के कार्य पूर्ण है, 3406 कि0मी0 के सापेक्ष 1915.00 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाने का लगभग 56 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिये गये है, 392 उच्च जलाशय के सापेक्ष 16 नग उच्च जलाशय के कार्य पूर्ण, 192420 नग पेयजल गृह संयोजन के सापेक्ष 149472 नग पेयजल गृह संयोजन करा दिये गये है, शेष कार्य प्रगति पर है। 331 नग सोलर आधारित पेयजल योजनाओं में 75 नग सोलर अधिष्ठापित किये जा चुके है तथा 120 नग योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठापन के कार्य प्रगति पर है। कार्यो की अत्यन्त धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त किया गया। फर्म को निर्देशित किया गया कि एग्रीमेन्ट का समय पूर्ण होने वाला है, अतः कार्यो को पूर्ण करने हेतु गैंग बढ़ाये जिस भी राजस्व ग्राम में कार्य प्रारम्भ करें वहाँ द्रुतगति से कार्य पूर्ण करें। दोगुना श्रमिक एवं मशीनरी बढ़ाते हुये शेष कार्यो को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बिछायी गयी पाइप लाइन के सापेक्ष किये गये पेयजल गृह संयोजनो की प्रगति समानुपातिक प्रतीत नहीं हो रही है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि बिछायी गयी पाइप लाइन के सापेक्ष पेयजल गृह संयोजन के कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
6. जिलाधिकारी महोदय द्वारा चाहीं गयी हर घर जल प्रमाणीकरण की सूचना के क्रम फेस–2 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै0 एल0सी0इन्फ्रा के प्रोजेक्ट मेनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन फेस–2 के 68 नग योजनाओं को हर घर जल प्रमाणीकरण हेतु अपलोड किया गया है जिसके सापेक्ष 38 नग योजनाओं को हर घर जल प्रमाणीकरण किया जा चुका है तथा फेस–3 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै0 एन0के0जी0 प्राइमस के प्रोजेक्ट मेनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन फेस–3 के 46 नग योजनाओं को हर घर जल प्रमाणीकरण हेतु अपलोड किया गया है जिसके सापेक्ष 22 नग योजनाओं को हर घर जल प्रमाणीकरण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। तत्क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि हर घर जल प्रमाणीकरण कराते हुये ग्राम स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर कार्यक्रम में मा0 जन प्रतिनिधि की उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
7. जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित उक्त दोनो फर्मो के प्रोजेक्ट मेनेजर एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के ग्रामवासियों को दिये गये जा रहे पेयजल गृह संयोजनों को घरों के अन्दर करके उच्च गुणवत्ता की टोंटी का प्रयोग किया जाये। किसी भी पेयजल गृह संयोजन को घरों के बाहर न छोड़ा जाये तथा क्षेत्र में भ्रमण कर समय–समय पर ग्रामवासियों से पूछा जाये कि पाइप बिछाने एवं कनेक्शन करने हेतु आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया जाय रहा है, यदि किसी के द्वारा कोई पैसा लिया जा रहा है तो उसके विरूद्ध कठोरतम् कार्यवाही की जाये।

8. जिलाधिकारी महोदय द्वारा चाही गयी सड़क मोटरेबल/पुनरस्थापना की जानकारी के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि फेस–2 एवं फेस–3 के अन्तर्गत कुल 3542 किमी0 पाइप लाइन डाली गयी, जिसके सापेक्ष 80 प्रतिशत सड़क मोटरेबल/पुर्नस्थापना के कार्य पूर्ण कर किये गये है, जिसके क्रम में फर्म को निर्देशित किया गया कि सड़क मोटरेबल/पुर्नस्थापना के कार्यो को मानकानुसार कराना सुनिश्चित करे।
9. भूमि विवाद की स्थिति के क्रम में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में फेस–3 के अन्तर्गत 7 ग्राम (तहसील ठाकुरद्वारा के विकास खण्ड डिलारी के 4 ग्राम, तहसील बिलारी के विकास खण्ड कुन्दरकी के 1 ग्राम, तहसील मुरादाबाद के विकास खण्ड भगतपुर टाण्डा का 1 ग्राम तथा तहसील कांठ के विकास खण्ड छजलैट का 1 ग्राम) की भूमि पर विवाद है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जूम ऐप मिटिंग के माध्यम से निर्देश दिये गये कि जिन ग्रामों मे भूमि पर विवाद है उन सभी ग्रामो में एक सप्ताह के अन्दर भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
10. जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता एवं जनपद में कार्यरत टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया है कि फर्मो द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में वितरण प्रणाली बिछाने में प्रयोग किये जा रहे एच0डी0पी0ई0 एवं एम0डी0पी0ई0 पाइपों की कार्यस्थल पर रेंडमली जांच की जाये कि जो पाइप फर्म द्वारा पेटी कान्ट्रेक्टर को उपलब्ध कराया गया है वही पाइप निर्माण स्थल पर बिछाया जा रहा है या उसके स्थान पर कोई अन्य पाइप बिछाया जा रहा है।
11. टी0पी0आई0 के श्री शेषमणी पाण्डेय द्वारा निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति एवं कार्यो की गुणवत्ता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि फर्मो द्वारा कराये गये कार्यो की गुणवत्ता की जांच, निर्माण कार्यो हेतु फर्मो द्वारा क्रय की निर्माण सामग्री एवं कार्यो की गुणवत्ता की जांच हमारे द्वारा समय–समय पर की जाती है। निरीक्षण के दौरान पाई गयी कमियों के सुधार हेतु फर्मो को Non Compliance Report प्रेषित की जाती है।

बैठक के अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियन्ता यह सुनिश्चित करें कि जिन योजनाओं का हर घर जल प्रमाणीकरण करा लिया गया है, उनमें मा0 जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर हर घर जल प्रमाणीकरण की बैठक दोबारा करायी जाये। समस्त कार्यदायी एजेन्सी यह सुनिश्चित करें ले कि जिन योजनाओं में पाइप लाइन बिछाने के कार्य पूर्ण हो गये है, पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त सड़क पुर्नस्थापना के कार्य द्रुतगति से मानकानुसार गुणवत्ता पूर्वक होने अनिवार्य है तथा पूर्ण ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं से निरन्तर पेयजल आपूर्ति करते हुये शीघ्रातिशीघ्र हर घर जल सर्टीफिकेट करना सुनिश्चित करें। जनपद के अन्तर्गत समस्त पेयजल योजनाओं में पेयजल आपूर्ति का एक निश्चित समय निर्धारित करे तथा हर योजना पर एक पम्प ऑपरेटर की नियुक्ति निर्धारित करें। यदि कार्य करने में कोई कठिनाई आ रही है, जिस कारण योजनाओं की प्रगति धीमी हो रही है तो आप उसकी सूचना ततकाल उपलब्ध करायें। जिससे समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध पैनल्टी हेतु कार्यवाही कराने हेतु बाध्य होना पडेगा।

जिलाधिकारी/
अध्यक्ष DWSM मुरादाबाद।

पृ0सं0 280/ 963 /102 दिनांक :–14/08/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता महोदय (मुरा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
2. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
3. मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
5. मै0 एन0के0जी0 प्राइमस जे0वी0, ए–129, फेस–1 अशियाना, डा0 रूवी चुग हॉस्पिटल के पास, मुरादावाद।
6. परियोजना हेड/निदेशक, मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 मकान नं0 10/273 सैक्टर–10 फेस–2, एम0जी0आर0 रेस्टोरेंट के पास आवास विकास, बुद्धी विहार, मुरादाबाद–244001।
7. परियोजना प्रबन्धक, एजेन्सी मैसर्स आर0वी0 ऐसोसिएटस, आर्किटक्ट, इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्स प्रा0लि0, टी0पी0आई0, मुरादावाद क्लस्टर–14 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. डी0पी0एम0यू0 कार्यालय, मानसरोवर कालोनी, मुरादावाद।

जिलाधिकारी/
अध्यक्ष DWSM मुरादावाद।